

PRESS - RELEASE

जिला सवाई माधोपुर

मंगलवार

दिनांक :- 26.09.2017

शांति भंग करने के 18 आरोपी गिरफ्तार :-

अंजली अजीत जोरवाल(प्रो0) आर0पी0एस0 गंगापुर सिटी ने गोकुल पुत्र सीताराम जाति यादव उम्र 24 साल निवासी जाट बडौदा गंगापुर सिटी थाना गंगापुर सिटी को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

इसी प्रकार जवर सिंह हैड कानि0 थाना बौली ने 1. रतन लाल पुत्र मिश्रीलाल जाति खटोक उम्र 67 साल निवासी कस्बा बौली थाना बौली 2. रन्जीत सिंह पुत्र श्री ग्यारसी लाल उम्र 42 साल 3. सुरेश पुत्र श्री ग्यारसी लाल उम्र 25 साल 4. नवर्लाकशोर पुत्र श्री ग्यारसी लाल उम्र 51 साल 5. नरेश कुमार पुत्र श्री ग्यारसी लाल उम्र 40 साल समस्त जातियान खटोक निवासीयान कस्बा बौली थाना बौली को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

इसी प्रकार मो0 अलीम स0उ0नि0 थाना बामनवास ने श्री राधाकिशन पुत्र श्री छोटेला लाल जाति मीना उम्र 63 साल नि0 बामनवास पटटीकलां थाना बामनवास को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

इसी प्रकार अरविन्द हैड कानि0 थाना मानटाउन ने 01. श्री दिलशाद पुत्र श्री सरफुद्धीन जाति गद्धी मुसलमान उम्र 22 साल नि0 दोबडा कलां थाना सूरवाल स0मा0 02. श्री बनवारी पुत्र नानगाराम जाति तेली उम्र 25 साल नि0 बहरावण्डा खुर्द थाना खण्डार स0मा0 को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

इसी प्रकार नरेन्द्र सिंह स0उ0नि0 थाना सूरवाल ने 1. राजेश उर्फ धन्ना पुत्र श्री मौजीराम जाति मीणा उम्र 35 साल, निवासी दुब्बी बनास थाना सूरवाल को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

इसी प्रकार हरि शंकर थाना महिला थाना ने दिलराज पुत्र श्री घनश्याम उम्र 19 जाति गुजर नि0 मौजीपुरा थाना रवाजना डूंगर को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

इसी प्रकार प्रकाश चन्द हैड कानि0 थाना पीलोदा ने प्रकाश पुत्र श्री सूसा जाति धोबी उम्र 23 साल निवासी रेण्डायल गर्जर थाना पीलोदा को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

इसी प्रकार अतर सिंह हैड कानि0 थाना मलारना डूंगर ने 1. जगदीश पुत्र भूराराम जाति मीना उम्र 27 साल 2. हरिसिंह पुत्र मोहन सिंह जाति गुर्जर उम्र 22 साल निवासी करेल थाना मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

इसी प्रकार सुन्दर लाल (प्रो०) उ०नि० थाना कोतवाली सवाई माधोपुर ने लक्खी पु. सुरेश जाट उम्र 25 साल निवासी सीमेन्ट फैक्ट्री स०मा० 2 श्री अंकित गुजराज पुत्र नरेन्द्र उम्र 24 साल निवासी जैसलमेर को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

इसी प्रकार लाल चन्द हैड कानि० थाना मलारना डुंगर ने 1. श्री फारूख पुत्र हाजी नसीर उम्र 42 साल 2. श्री जाह्द पुत्र हारून उम्र 26 साल 3. श्री इरफान पुत्र ईदया उम्र 30 साल 4. श्री फिरोज पुत्र ईदया उम्र 20 साल जातियान मुसलमान निवासीयान फलसांवटा थाना मलारना जिला स०मा० को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

शराब पीकर उत्पात मचाते 06 आरोपी गिरफ्तार :-

सरोज कुमारी(प्रो०) उ०नि० थाना मानटाउन स०मा० ने 01. श्री मुकेश पुत्र श्री लक्ष्मण जाति रेगर उम्र 30 साल नि० रेल्वे कालोनी थाना कोतवाली स०मा० 02. श्री मनोज पुत्र हंसराज जाति मीना उम्र 23 साल नि० घुडासी थाना कोतवाली स०मा० 03. श्री प्रभुलाल पुत्र श्री लालूजी जाति बागरिया उम्र 35 साल नि० श्यामगढ थाना श्यामगढ मध्यप्रदेश 04. श्री बृजमोहन पुत्र रामनारायण उम्र 30 साल जाति रेगर नि० रेल्वे कालोनी थाना कोतवाली स०मा० 05. श्रीदास पत्र लखपल जाति मीना उम्र 45 साल नि० आदलवाडा थाना चौथ का बरवाडा स०मा० को शराब पीकर उत्पात मचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

इसी प्रकार सुन्दर लाल(प्रो०) उ०नि० थाना कोतवाली स०मा० ने मुश्ताक पुत्र अब्बू सलाम उम्र 22 साल निवासी खेरदा को शराब पीकर उत्पात मचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

शराब पीकर वाहन चलाते आरोपी गिरफ्तार :-

प्रकार सुन्दर लाल(प्रो०) उ०नि० थाना कोतवाली स०मा० ने दिनेश पुत्र राजेश बैरवा उम्र 26 साल निवासी शान्ति नगर को शराब पीकर वाहन चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

जुआ खेलते 05 आरोपी गिरफ्तार:-

अब्दुल खालिक स०उ०नि० थाना कोतवाली स०मा० ने 1.श्री विजय पुत्र श्री हरिचरण उम्र 26 साल निवासी शहर 2. श्री मुकेश पुत्र घनश्याम महाजन उम्र 37 साल निवासी सलामत मंजील के पीछे शहर 3. पवन कुमार पुत्र श्री महावीर महाजन उम्र 48 साल निवासी सदर बाजार शहर स०मा० को ताश के पत्तों पर पैसों का दाव लगाकर सार्वजनिक स्थान खण्डार तिराया शहर में जुआ खेलते हुये पाये जाने पर जुआ अधिनियम के आरोप में मय ताश के पत्तें व 10000 रूपयें के साथ गिरफ्तार कर मुकदमा नम्बर 545/17 दर्ज किया गया।

इसी प्रकार अब्दुल खालिक स०उ०नि० थाना कोतवाली स०मा० ने 1.राजेश पुत्र कन्हैया लाल जाति मीना उम्र 30 साल निवासी अजनोटा थाना सूरवाल 2. सुरेश पुत्र पांचूराम जाति गुजर उम्र 42 साल निवासी रेल्वे कोलोनी नाम राजकवर पुत्र घनश्याम जाति नाथ उम्र 28 साल निवासी ठांगला थाना मानटाउन को ताश के पत्तों पर पैसों का दाव लगाकर सार्वजनिक स्थान रणथम्भोर रोड में जुआ खेलते हुये पाये जाने पर जुआ अधिनियम के आरोप में मय ताश के पत्तें व 7200 रूपयें के साथ गिरफ्तार कर मुकदमा नम्बर 548/17 दर्ज किया गया।

सट्टे की खाईवाली करते हुये आरोपी गिरफ्तार :-

समय सिंह हैड कानि० थाना कोतवाली गंगापुर सिटी ने दिनेश पुत्र राजेश बैरवा उम्र 26 साल निवासी शान्ति नगर को गर्ग हॉस्पिटल के पास से जुआ अधिनियम के आरोप में मय सट्टा पर्ची ,बॉलपेन मय एक मोवाईल के व 860 रूपयें नकद के साथ सट्टे की खाईवाली करते हुये गिरफ्तार कर मुकदमा नम्बर 650/17 दर्ज किया गया ।

02 स्थाई वारंटी गिरफ्तार :-

घनश्याम स०उ०नि० थाना बाटोदा नें फरार स्थाई वारण्टी लाखन पुत्र केशू जाति मीना उम्र 27 साल निवासी मोरपा थाना बाटौदा को गिरफ्तार किया गया ।

उल्लेखनीय है कि आरोपी के विरुद्ध न्यायालय श्रीमान जेएम साहब बामनवास ने केस नं० 79/12 में स्थाई वारण्ट जारी किया गया था ।

इसी प्रकार प्रेम प्रकाश हैड कानि० थाना बाटोदा नें फरार स्थाई वारण्टी सीत्या पुत्र छोटया जाति धोबी उम्र 35 साल निवासी गढी गोपालपुरा थाना बाटौदा को गिरफ्तार किया गया ।

उल्लेखनीय है कि आरोपी के विरुद्ध न्यायालय श्रीमान जेएम साहब बामनवास ने केस नं० 143/10 में स्थाई वारण्ट जारी किया गया था ।